समिति की तृतीय बैठक दिनांक 26.05.2015

मा0 सदस्य, राज्य योजना आयोग श्री निहाल अजमत चौधरी की अध्यक्षता में दिनांक 26.05.2015 को योजना भवन के कक्ष संख्याः 111 में अध्ययन समूह (ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक उत्थान) के अन्तर्गत अध्ययन प्रतिवेदन तैयार करने के सम्बन्ध में आयोजित तृतीय बैठक का कार्यवृत्त।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव/निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 डा0 रूद्र प्रताप द्वारा श्री निहाल अजमत चौधरी, मा0 सदस्य, राज्य योजना आयोग एवं विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग श्री एम0एम0 तिवारी जी का हार्दिक स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं दिनांक 15.05.2015 को आहूत द्वितीय बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करते हुए राज्य योजना आयोग द्वारा अध्ययन समूह हेतु चयनित निम्न बिन्दुओं पर पुनः वृहद चर्चा की गयी :

1. **पशुचिकित्सा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोगों के लिये सम्भावनाओं का पता लगाना।**
2. **पशुपालकों को विशेषज्ञ सलाह प्राप्त कराना।**
3. **पशुओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना।**
4. **दुग्धशाला विकास विभाग के सुदृढ़ीकरण हेतु सुझाव।**

श्री निहाल अजमत चौधरी, सदस्य राज्य योजना आयोग द्वारा गत दो बैठकों में हुई परिचर्चा के संबंध में अवगत कराया गया कि आज की बैठक अध्ययन समूह की अन्तिम बैठक है। पशुपालन विभाग द्वारा प्रस्तुत आख्या सही ढ़ंग से बनाई गयी है। जिसपर बिन्दुवार चर्चा की जाय जिससे अन्तिम निष्कर्ष निकल कर आये।

- विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग श्री एम0एम0 तिवारी जी ने अवगत कराया कि प्रदेश में पशुओं को हरा–चारा एवं सूखा–चारा की उपलब्धता में कमी का कृषि विभाग से समन्वय न होना मुख्य कारण है। इसके बिना ग्रामीण उत्थान संभव नही है। अतः इस बैठक में कृषि विभाग के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। इस पर निदेशक, पशुपालन द्वारा अवगत कराया गया कि कृषि विविधीकरण को ध्यान में रखकर वृहद कृषि नीति अन्तर्गत चारे की उपलब्धता बढ़ाने हेतु कृषि विभाग, पशुपालन विभाग से पर्याप्त समन्वय बनाये।

- निदेशक, पशुपालन द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश में पशुओं की संख्या के आधार पर वर्तमान मानक 15000 पशु संख्या पर एक पशु चिकित्सालय के आधार पर

अभी और 1200 पशुचिकित्सालयों की स्थापना किया जाना आवश्यक है। साथ ही मोबाईल वेटनरी क्लीनिकों की स्थापना किया जाना भी आवश्यक है जिससे पशुचिकित्साविदों द्वारा विभागीय सेवायें पशुपालकों के द्वार पर दिया जाना संभव हो सके। पुलिस विभाग की भॉति पशुचिकित्साधिकारियों एवं पशुधन प्रसार अधिकारियों को ऋण द्वारा वाहन उपलब्ध कराने से पशुपालकों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान, चिकित्सा, टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य ससमय सम्पादित किया जा सकता है।

- राज्य समन्वयक, बायो इनर्जी सेल, राज्य योजना आयोग श्री पी0एस0 ओझा जी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में राज्य जैव उर्जा नीति–2014 लागू है जिसके तहत सेल्यूलोजिक जैव उत्पाद जैसे– स्वीट सोरगुम, सड़े हुए फल, सडे हुए सब्जियां, शुगरविट, कशावा एवं गोबर इत्यादि का उपयोग करके बायो–गैस का उत्पादन किया जा सकता है। पशुपालन विभाग द्वारा संचालित कामधेनु योजना को डबटेल कर बायो–गैस का उत्पादन कियाजा सकता है। इस संबंध में निदेशक, पशुपालन एवं विशेषज्ञ श्री एम0एम0 तिवारी द्वारा अवगत कराया गया कि पुरानी पद्वति द्वारा निर्मित गोबर गैस प्लान्ट नेडा द्वारा लगाये जाते है वह महगें तथा जल्दी खराब हो जाते है जिससे सही ढंग से गोबर गैस का उत्पादन नही हो पाता है। इस बिन्दु पर श्री निहाल अजमत चौधरी जी द्वारा बताया गया कि पुरानी पद्वति की तकनीक में परिवर्तन किया गया है, नई तकनीक अत्यन्त उपयोगी है, इसे पशुपलकों को अपनाना चाहिए। अपर निदेशक, राज्य योजना आयोग श्री ए0के0 ढाका जी द्वारा सुझाव दिया गया कि पशुपालन विभाग कामधेनु योजना के लाभार्थियों की सूची बायो–इनर्जी सेल, राज्य योजना आयोग को प्रेषित करे जिससे उन इच्छुक लाभार्थियों को बायो गैस संयत्र एवं तकनीक के बारे में प्रशिक्षित किया जा सके। इस बिन्दु पर उपनिदेशक डा0 जी0सी0 पाण्डेय ने आश्वासन दिया की शीघ्र ही कामधेनु के लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करा दी जायेगी। तथा विभाग स्तर से नई तकनीक के विषय में अलग से अवगत कराया जायेगा।

- पशुओं के लिए स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था होनी चाहिए इसके लिए ग्राम सभा स्तर पर हैण्ड पम्प एवं तालाब निर्मित कराये जाये जिससे पशुओं के लिए स्वच्छ पेय जल उपलब्ध हो सके। श्री एम0एम0 तिवारी जी द्वारा दिये गये सुझाव पर अपर निदेशक, राज्य योजना आयोग श्री ए0के0 ढाका जी ने अवगत कराया कि कार्य योजना बनाने से पहले धन की उपलब्धता/संसाधनों पर विचार कर लिया जाय।

- श्री एम0एम0 तिवारी जी द्वारा सुझाव दिया गया कि उपाध्यक्ष राज्य योजना आयोग महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक होना चाहिए जिसमें एजेण्डा का निर्धारण करते हुए

बैंक, वित्त एवं नाबार्ड जैसी संस्थाओं के भिज्ञ प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाय, क्यों कि नीति निर्धारण में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं की सहमति आवश्यक है।

मा0 सदस्य, राज्य योजना आयोग श्री निहाल अजमत चौधरी जी एवं अध्ययन समूह के अन्य सदस्यगणों की सहमति से निर्णय लिया कि निम्न बिन्दुओं को कार्य योजना में सम्मिलित किया जाय :–

1. नये पशुचिकित्सालयों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधनों एवं अति आवश्यकपूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कार्य योजना बनायी जाये।

2. पशुचिकित्साधिकारी/पशुधन प्रसार अधिकारी को वाहन उपलब्ध कराने एवं उनके संचालन हेतु वाहन ऋण तथा वाहन भत्ता आदि व्यवस्था हेतु कार्य योजना प्रस्तुत की जाय।

3. एन0जी0ओ0 एवं पैरावेट्स के माध्यम से और अधिक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित करने हेतु कार्य योजना प्रस्तुत की जाय।

4. प्रदेश के प्रत्येक मंडल स्तर पर एक पालीक्लीनिक के स्थापित करने हेतु कार्य योजना प्रस्तुत की जाय।

5. बीमारियों के त्वरित निदान हेतु जिन जनपदों में डायग्नोस्टिक लैब स्थापित है उनको छोड़ कर अन्य जनपदों में भी लैब की स्थापना हेतु कार्य योजना प्रस्तुत की जाय।

6. पशुपालको को त्वरित स्वास्थ्य सेवायें तथा कृत्रिम गर्भाधान कार्य को पशुपालक के द्वार पर कराये जाने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर मोबाईल वेटनरी क्लीनिक (बुन्देल खण्ड, जहॉ पहले से 47 कार्यरत हैं, को छोड़कर) हेतु कार्य योजना प्रस्तुत की जाय।

7. प्रदेश के बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल एवं बृज क्षेत्र में 3 वीर्य उत्पादन केन्दों को स्थापित करने उद्देश्य से कार्य योजना प्रस्तुत की जाय।

8. अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुपालकों को प्रति पशु दुग्ध उत्पादन के आधार पर इन्सेन्टिव प्रदान किये जाने हेतु कार्य योजना प्रस्तुत की जाय जिससे अन्य पशुपालकों में गुणवत्ता युक्त पशुपालन एवं अधिक दुग्ध उत्पादन के प्रति स्पर्धा बढ़े।

9. नवजात बच्चों (पशु) को नियमित अन्तराल पर परजीवी नाशक दवापान सहित प्रत्येक पशुचिकित्सालयों पर 50 हजार रूपयें की औषधियों की उपलब्धता हेतु कार्य योजना प्रस्तुत की जाय।

10. पैरावेट्स हेतु ट्रैकिंग व्यवस्था विकसित की जाये तथा पैरावेट्स के लिए 7 दिन का रिफ्रेशर कोर्स संचालित करने हेतु कार्य योजना प्रस्तुत की जाय।

11. ग्रामों में सभी पशुपालकों के पशुओं को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्य योजना प्रस्तुत की जाय।

12. जोखिम प्रबन्धन के अन्तर्गत दुधारू पशुओं के बीमा कराने की योजना के संबंध में कार्य योजना प्रस्तुत की जाय।

(कार्यवाही संबंधित योजना अधिकारी, पशुपालन विभाग)

दुग्धशाला विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत सुदृढ़ीकरण हेतु सुझाव पर अध्ययन समूह द्वारा प्राथमिकता के आधार पर बिन्दुवार निम्न निर्णय लिया गया :–

1. कृषको को दुग्ध मूल्य भुगतान हेतु गुणवत्ता परीक्षण एवं नाप–तौल की पारदर्शी व्यवस्था अपनायी जाय। इसके लिये दुग्ध संग्रह केन्द्रों पर सोलर पैनल व जी0पी0आर0एस0 युक्त हाईब्रिड डी0पी0एम0सी0यू0 स्थापित किया जाये। उक्त डी0पी0एम0सी0यू0 से प्राप्त डाटा एक सेन्ट्रल सर्वर पर संकलित कर राज्यस्तरीय फेडरेशन द्वारा पूर्ण पर्यवेक्षण कर पारदर्शी व्यवस्था की जायेगी, इससे किसानों के हित भी सुरक्षित रह सकेंगे। दुग्ध समितियों के गठन/पुर्नगठन हेतु बिना डी0पी0एम0सी0यू0 के वित्तीय सहयोग का प्राविधान ही न रखा जाये। डेरी सेक्टर में सहकारिता व दुग्ध उपार्जन को बढ़ावा देने हेतु समिति गठन/पुर्नगठन व केन्द्रीयकृत साफ्टवेयर के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे दुग्ध मूल्य भुगतान कराने हेतु शत–प्रतिशत फण्डिग की व्यवस्था की जाये।

2. उच्च गुणवत्ता के दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का उत्पादन एवं विपणन करने के लिए सोलर पावर आधारित कोल्ड चेन की स्थापना अनिवार्य की जाये। ग्राम्य स्तर पर स्थापित दुग्ध संग्रह केन्द्रों में सौर ऊर्जा पर आधारित बल्क मिल्क कूलर तथा विक्रय केन्द्रों पर डीप फ्रीजर/ फ्रिज अनिवार्य रूप से उपलब्ध होना चाहिए। इसमें शत–प्रतिशत अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदेश/भारत सरकार द्वारा दी जाये।

3. गाय के दूध में वसा एवं वसा रहित ठोस की मात्रा प्राकृतिक रूप में कम पायी जाती है। सामान्यतः व्यावसाइयों द्वारा दूध में वसा एवं वसा रहित ठोस की मात्रा के आधार पर दुग्ध मूल्य का भुगतान किया जाता है। अतः कृषकों को गाय के दूध की कीमत भैंस के दूध की तुलना में कम प्राप्त होती है। गाय के दूध के औषधीय गुणों के दृष्टिगत इसके उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु अन्य प्रदेशों तथा कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तराखण्ड में रू0 2.00 से रू0 4.00 प्रतिलीटर की प्रोत्साहन धनराशि दी जा रही है, की भांति ही प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को न्यूनतम रू0 2.00 प्रतिलीटर की दर से प्रोत्साहन धनराशि प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाये।

4. प्राथमिक, जनपद एवं राज्य स्तरीय कृषि सहकारी ऋण समितियों को पूँजीगत मद में व्यय हेतु शत–प्रतिशत अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है। कृषि सहकारी समितियों की भॉति दुग्ध सहकारी समितियों को भी पूँजीगत व्यय हेतु शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाये ताकि कृषकों को ग्रामीण स्तर पर ही दुग्ध विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध कराते हुए उनके उपार्जित दूध से गुणवत्ता परक तरल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का निर्माण हेतु उपभोक्ताओं को दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराया जा सके। कृषि व कृषि में सम्बद्ध अन्य सेक्टरों के जिला स्तरीय समितियों/संघ व राज्य स्तरीय फेडरेशन को भी शत– प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाये।

5. यूरोपीय देशों द्वारा दुग्ध उत्पादन हेतु कोटा सिस्टम 31.03.2015 से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इससे यूरोपीय देशों में दुग्ध उत्पादन में संभावित वृद्धि का उपयोग दुग्ध उत्पादों में परिवर्तित कर एशियाई देशों में बिक्री किया जायेगा, जिससे एशियाई देशों में दुग्ध क्रय दर में कमी संभावित है। इसका प्रतिकूल प्रभाव दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक स्थिति पर पड़ना स्वाभाविक है। इस संबंध में यथोचित नीति का निर्धारण किया जाना आवश्यक होगा

अन्त में अध्ययन समूह के सदस्य सचिव/निदेशक, पशुपालन विभाग डा0 रुद्र प्रताप द्वारा बैठक में उपस्थिति अधिकारीगणों का धन्यवाद देते हुए अवगत कराया कि इस समूह की तीनों बैठकों में पशुपालकों के हित में व्यापक चर्चा किया गया जिसमें अति महत्वपूर्ण बिन्दु उभर कर आये है, उन बिन्दुओं पर यदि कार्य योजना तैयार कर ली जाय एवं पर्याप्त बजट व्यवस्था मुहैया हो सके उस स्थित में निःसंदेह प्रदेश के विकास में पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग का अग्रणी भूमिका होगी।